भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी वकास और गंगा संरक्षण वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या 3030

दिनांक **06** अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

एकीकृत जल प्रशासन और संधारणीय जल संसाधन प्रबंधन

3030. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार ने नदियों, जलभृतों, आर्द्रभू मयों और अन्य जल संसाधनों की अलग-अलग प्रशासनिक निगरानी के बजाय समन्वित प्रबंधन की आवश्यकता वाले पारिस्थितिकी प्रणा लयों के तौर पर आपस में जुड़े संसाधनों के रूप में स्वीकार कर जल शासन के लए एक समग्र ष्टिकोण की आवश्यकता की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वे प्रमुख संस्थागत, कानूनी, अवसंरचनात्मक और अंतर-राज्यीय चुनौतियाँ क्या हैं जो जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग तथा कृ ष, घरेलू उपभोग, उद्योग और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने में बाधा डालती हैं;

(ग) बे सन-उन्मुख योजना, एकीकृत डेटा-साझाकरण, वैज्ञानिक जल- वज्ञान आकलन, वास्त वक समय पर निगरानी और साक्ष्य-आधारित जल संसाधन प्रबंधन को सु ढ़ करने के लए क्या सुधार प्रस्ता वत हैं;

(घ) राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, अनुसंधान संस्थानों, जल उपयोगकर्ता संघों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहभा गतापूर्ण निर्णय लेने के लए समन्वय बढ़ाने हेतु कौन सी सहयोगात्मक व्यवस्थाएं परिकल्पित की गई हैं; और

(ङ) प्रत्येक नागरिक को समान रूप से जल मलने के सद्धांत के आधार पर समावेशी, संधारणीय और जलवायु-अनुकूल जल प्रशासन को बढ़ावा देने के लए सरकार की दीर्घका लक रणनीति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केंद्र सरकार ने जल विज्ञान और परिस्थितिकी-प्रणाली के परस्पर संबद्ध घटकों के रूप में नदियों, जलभृतों, आर्द्रभूमि और अन्य जल संसाधनों पर विचार करते हुए जल शासन के लिए

एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। तदनुसार, जल शक्ति मंत्रालय नदी बेसिन-आधारित योजना, वैज्ञानिक मूल्यांकन, तकनीकी कार्यकलापों और समन्वित संस्थागत तंत्र पर जोर देने के साथ जल संसाधन नियोजन और प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम) के सिद्धांतों पर बल दिया गया है और नदी बेसिन स्तर पर जल संसाधनों के सतत, न्यायसंगत और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनके समन्वित विकास और प्रबंधन पर जोर दिया गया है।

(ख): संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत जल, राज्य का विषय है और तदनुसार, जल संसाधनों की नियोजन, विकास और प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों की है। तथा प, एकीकृत जल शासन को कई संस्थागत, व धक, अवसंरचनात्मक और अंतर-राज्यीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें कई एजेंसियों के बीच संस्थागत उत्तरदायित्वों का विखंडन, राज्य के जल संबंधी कानूनों और नियामक ढांचे में भिन्नता, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद, अपर्याप्त भंडारण और परिवहन अवसंरचना, व भन्न क्षेत्रों में जल मौसम विज्ञान परिवर्तनशीलता और पर्यावरणीय प्रवाह आवश्यकताओं को सुनिश्चित करते हुए तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण और कृषि जल की मांग के कारण बढ़ता दबाव शामिल है। भारत सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लए कई तरह के उपाय करती है। इनमें नीतिगत सहायता, तकनीकी सलाह, व भन्न केंद्रीय क्षेत्रों और केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत आ र्थक सहायता, क्षमता-निर्माण की पहल और संस्थागत व्यवस्थाएं शा मल हैं। इन संस्थागत व्यवस्थाओं में 'अंतर-राज्यीय नदी जल ववाद अ धनियम, 1956' के तहत अन्तर-राज्यीय नदी जल ववादों के अ धनिर्णयन हेतु ढांचा मुहैया कराना भी शा मल है।

(ग): सरकार एकीकृत जल संसाधनों के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई पहलों का कार्यान्वयन कर रही है। साक्ष्य-आधारित जल संसाधननों के प्रबंधन का समर्थन करने के लिए, सरकार ने जल वज्ञान परियोजनाओं के वि भिन्न चरणों को कार्यान्वित किया है, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों की सूचना की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है। इस परियोजना के तहत, राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी) की स्थापना की गई है जो इनका प्रबंधन करता है (i) एकीकृत डाटा-साझाकरण के लिए एक सशक्त, लोक-उन्मुख पोर्टल के रूप में जल संसाधन सूचना प्रणाली (इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस); और (ii) जल सूचना प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूआईएमएस), जो बाढ़ पूर्वानुमान और बेसिन-स्तरीय जल-मौसम वज्ञान आकलन सृजित करने के लिए निरंतर वास्तविक-समय डाटा को एकीकृत करती है।

भारत सरकार ने बेसिन-उन्मुख योजना, एकीकृत डाटा-साझाकरण, वैज्ञानिक जल विज्ञान मूल्यांकन, वास्तविक-समय की निगरानी और साक्ष्य-आधारित जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए टेलीमेट्री प्रणालियों की स्थापना सहित सतही जल और भूजल निगरानी नेटवर्कों का

आधुनिकीकरण और विस्तार किया है। इस समय देश में लगभग 39,000 वास्त वक-समय डाटा एक्विजिशन प्रणाली (आरटीडीएएस) स्टेशन कार्यरत हैं।

(घ): सरकार सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए बहु-स्तरीय सहयोगात्मक व्यवस्थाओं के माध्यम से सहभागी-निर्णयन को बढ़ावा देती है। मंत्रालय, नीति में वैज्ञानिक विशेषज्ञता को एकीकृत करने के लिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जल विज्ञान परियोजनाओं, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, अनुसंधान एवं विकास योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समर्पित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों और उद्देश्य संचालित अध्ययन (पीडीएस) के माध्यम से अनुसंधान संस्थानों (जैसे आईआईटी, एनआईटी और आईसीएआर) के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। जमीनी स्तर पर, स वल समाज संगठन (सीएसओ) और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) औपचारिक रूप से जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) के रूप में और अटल भूजल योजना के अंतर्गत सहायक एजेंसियों के रूप में सामुदायिक जुटाव और व्यवहार परिवर्तन को सुगम बनाने के लए कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों और किसानों को सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) के माध्यम से सशक्त बनाया गया है, जो स्थानीय स्तर पर समान जल वितरण और प्रणाली अनुरक्षण का प्रबंधन करने के लिए जल उपयोगकर्ता संघों (डब्ल्यूयूए) के गठन को अनिवार्य करता है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी अभियानों ने वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और स्रोत की सतता बनाए रखने के लिए स्थानीय निकायों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, स वल समाज संगठनों, नेहरू युवा केंद्र संगठन, स्वयं-सहायता समूहों और अन्य हितधारकों को संगठित करके जन भागीदारी को सु ढ़ किया है। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर स्थापित जल शक्ति केंद्र जल संरक्षण और कुशल जल प्रबंधन से संबंधित सर्वोत्तम परिपाटियों, तकनीकी मार्गदर्शन, जागरूकता के सृजन और क्षमता निर्माण के प्रसार के लिए ज्ञान और संसाधन केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।

(ङ): सरकार की दीर्घकालिक कार्यनीति एकीकृत नियोजन कुशल प्रबंधन और जल संसाधनों के समान उपयोग के माध्यम से समावेशी, सतत और जलवायु-अनुकूल जल शासन को बढ़ावा देना है। यह कार्यनीति जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल उपलब्धता बढ़ाने, पारंपरिक जल निकायों के पुनरूद्धार और वॉटरशेड विकास, मांग-पक्ष प्रबंधन, सूक्ष्म-सिंचाई, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के माध्यम से जल-उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) के तहत वैज्ञानिक भूजल प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है। सरकार, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने और भ वष्य की चुनौतियों का सामना करने के लए देश के जल संसाधनों की जल सुरक्षा को मज़बूत करने और टिकाऊ प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लए वैज्ञानिक शोध, आधुनिक तकनीकों, डजिटल सूचना प्रणा लयों, संस्थागत सुधारों और भागीदारीपूर्ण शासन को प्रोत्साहित कर रही है।
